

हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामिल  
में जारी हुए

२२/११

पतावली पेशा दुरी आधि ३५०  
 आधि रैख्यो में प्रान्त्र ०२२१० पर  
 No objection दिया हुआ है। किंतु आधि ३५० पर  
 की बहस सुनी गरी आधि कसे क्षीला ने दोर १०  
 बहस कथन दिया कि रैख्यो संख्या २ के काण्ड में  
 उक्त वाद के विचाराधीन रहते हुए ख. नं. १५१ के  
 संबंध में श्री कमल कुमार को बैचान करते हुए  
 दस्तावेज पंजीयन करवा दिया गया है, अतः - शपथ  
 कमल कुमार को प्रकरण में विधिवत रूप से पक्षकार  
 बनाया जाना आवश्यक है अतः प्राण्य ०२२१०(२) के  
 कमल कुमार को बतौर प्रतिवादी पक्षकार संयोजित किया  
 जावे आधि ३५० द्वारा सहमति जाहिर की गरी।  
 पत्रा का अखिलोक्तन दिया। आधि की बहस पर  
 मनन दिया गया। अतः इन्हें विवेचन के अखिलोक्तन  
 में आधि वाली का प्राण्य ०२२१०(२) के स्वीकार  
 करते हुए कमल कुमार को बतौर प्रतिवादी पक्षकार  
 संयोजित किया जाता है। आधि क्षीला संयोजित  
 शीर्षक व तख्ताना पेश करें। पत्रा आय १९०१ के  
 २५/१/२५ को पेश हो।

(रविप्रकाश RAS)  
 उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन  
 सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

२५/१

पतावली पेशा दुरी करीक उपा.  
 संश्लेषित शीर्षक एवं तख्ताना पेश करते कर  
 लपट करके हो। पत्रा दिनांक २०/११/२५ को पेश हो।

उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन  
 सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

१३/१२

वकील मच अपीलान्त इस पतावली तख्ताना कर  
 अपील जसि विद्रोह शरारत करते कर जा ए  
 पेश करते है पत्रा माच पेश दुरी।  
 वकील मच अपीलान्त है जा ए पेश किच कि  
 जां के अंगिक व्यक्तियों की आपसी लपटान्त  
 उक्त उमर के आपसी शपथान्त है उक्त है। कर  
 अपीलान्त उक्त उमर के मांजे को ही आपसी

अनि  
 सुकरी

पुहचान  
 दिनांक  
 12-11-25

(मनोज कुमार पीणा RAS)  
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
 सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

मही-चाठी ही उम्मा उम्मा करिके विज्ञापन रजिस्ट्रार  
करपावे । प्रकथन मरफि ही ।

मना अपीलान्त ही अपील करिके विज्ञापन  
रजिस्ट्रार ही जारी ही प्रमाण फौजदारी मुपद होम  
कराव हे कर ही गाव लम्बीस पावस दारिमल  
दफ्तार लेरल । मज्जात मरफ ही

उपखण्ड अधिकारी

जैतारण (व्याघर)